

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
292
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-01/स्था-26-24/2023-

पटना, दिनांक- 27.12.2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-20725 दिनांक-07.11.2023 द्वारा श्री अरविन्द कुमार अरुण, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी को संविदा के आधार पर जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियोजित किए जाने के फलस्वरूप विभाग में श्री अरुण द्वारा समर्पित योगदान की तिथि-17.11.2023 (पूर्वाहन) से योगदान स्वीकृत करते हुए विभागीय प्रशाखा-09 में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री ईशु उराँव, संविदा के आधार पर नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा-09 के प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(इन्दु भूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-01/स्था-26-24/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09(बी)/प्रशाखा-13 तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-01/स्था-26-24/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री अरविन्द कुमार अरुण, प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा)/श्री ईशु उराँव, संविदा के आधार पर नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-01/स्था-26-24/2023-

6315

पटना, दिनांक- 27.12.2023

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, AEBAS/कार्यपालक/अभियंता IT, WRD IT Centre/ IT Manager, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव